के लिए क्या-क्या मानदंड अपनाए जाने हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जीवन बीमा निगम की धन-राशियों के निवेश, जीवन बीमा निगम पर लागू होने वाले बीमा अधिनियम 1938 की धारा 27-क के उपबंधों द्वारा शासित होते हैं। जहां जीवन बीमा निगम को इसके अंतर्गत जारी किए गए सरकारी मार्गदर्शकों का धन-राशियों का आबंटन करते समय सावधानीपूर्वक पालन करना होता है, वही दूसरी ओर उसे समय पर ब्याज की अदायगी मूलधन की किस्तों की वापसी अदायगी के रूप में अपने पिछले ऋणों की तुरंत सेवा पर भी काफी हद तक निर्भर रहना पड़ता है ताकि वह संबंधित राज्य सरकारों के विभिन्न विकास कार्यक्रमों, विशेषकर समाजोन्मुखी कार्यक्रमों में सहायता देने की अपनी क्षमता में रुकावट डाले बिना इन धनराशियों को पुनः आवर्तित करने में समर्थ हो सके।

गुजरात को एल०आई०डी०बी०आई० की सहायता

81. **श्री राम सिंह राठवा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एस.आई.डी.बी.आई. ने विगत दो वर्षों के दौरान गुजरात में विभिन्न पुनर्वित्त योजनाओं के अधीन सहायता प्रदान की है ;

(ख) यदि हां, तो गुजरात में कितनी सहायता प्रदान की गई ;

(ग) अखिल भारतीय स्तर पर प्रदत्त कुल सहायता में से गुजरात को प्राप्त सहायता का प्रतिशत कितना है;

(घ) क्या यह सच है कि इस उपाय के परिणामस्वरूप रोजगार के अवसरों में कोई महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हो पाई है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) और (ख) जी, हां। गत 2 वर्षों के दौरान अपनी विभिन्न योजनाओं के तहत भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) द्वारा गुजरात को संवितरित की गई पुनर्वित्त सहायता नीचे दी गई है :-

वर्ष	संवितरण (करोड़ रुपए)
1990-91	169.90
1991-92	196.26

(ग) वर्ष 1990-91 और 1991-92 के दौरान अखिल भारतीय स्तर पर अपनी विभिन्न दल वित्त तथा प्रत्यक्ष योजना के माध्यम से लघु उद्योग क्षेत्र को दी गई सहायता सहित अपनी विभिन्न पुनर्वित्त योजनाओं में से उपलब्ध कुल सहायता में से गुजरात का प्रतिशत हिस्सा क्रमशः 11% और 13% था।

(घ) और (ङ) सिडबी ने सूचित किया है कि 31 मार्च, 1992 को समाप्त विगत 2 वर्षों के दौरान, उसके द्वारा उपलब्ध कराई गई कुल सहायता से 12,400 करोड़ रुपए से अधिक का पूंजी निवेश किया गया है जिससे

31 लाख लोगों के लिए रोजगार के अवसर मुहैया होने की सम्भावना है। गुजरात में परियोजनाओं के लिए स्वीकृत सहायता से कुल 1400 करोड़ रुपए का पूंजी निवेश होगा और उससे 3.5 लाख लोगों के लिए रोजगार के अवसर मुहैया होंगे।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को बैंक ऋण प्रदान करने में अनियमितताएं

82. **चौधरी हरमोहन सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वाणिज्यिक बैंकों ने उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को भारतीय रिजर्व बैंक के ऋण प्रदान करने संबंधी अनुदेशों का समुचित रूप से पालन नहीं किया है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रही है; और

(ग) सरकार को गत वर्ष इस संबंध में अनियमितताओं के कितने मामले प्राप्त हुए ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) से (ग) वाणिज्यिक बैंकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की जाने वाली हिदायतों का पालन करें जिनमें अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के व्यक्ति को ऋण देने से संबंधित अनुदेश भी शामिल हैं। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को दी जाने वाले ऋणों के प्रवाह को बढ़ाने की दृष्टि से, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों को, अपने कुल अग्रिमों का 10 प्रतिशत हिस्सा समाज के कमजोर वर्गों को देने का आदेश दिया गया है जिनमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति भी आ जाते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने इस संदर्भ में बैंकों से कहा कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों के लिए उपयुक्त बैंक योग्य योजनाएं तैयार करने के वास्ते विशेष प्रयास किये जायें। तदनुसार वाणिज्यिक बैंक सरकार द्वारा स्पांसर किये गये कार्यक्रमों में भाग लेते हैं ताकि पता लगाये गये लाभार्थी अपने आर्थिक उन्नयन के लिये तैयार की गयी अर्थक्षम योजना को शुरू कर सकें। उपर्युक्त के अलावा, बैंक समाज के कमजोर वर्गों को उत्पादक कार्यों के लिये ऋण देने के तौर पर उनकी मदद करने के लिए स्वयं भी योजनाएं तैयार करते हैं। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को ऋण-सहायता देने के मामले में सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कार्यनिष्पादन की सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर समीक्षा की जाती है और अगर कोई कमी ध्यान में आती है तो उसे दूर करने के लिए उपयुक्त कदम उठाये जाते हैं।

उत्तर प्रदेश में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र, कमजोर वर्गों और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को सभी वाणिज्यिक बैंकों की बकाया रकमें बढ़ रही हैं जसा निम्नलिखित सारणी से स्पष्ट है :-

(खातों की संख्या लाख में) (रकम करोड़ रुपये में)

निम्नलिखित के अन्त तक	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र		कमजोर वर्ग		अनु० जाति/अनु०जनजाति	
	खाते	रकम	खाते	रकम	खाते	रकम
मार्च, 1990	39.46	4175	27.46	1196	10.67	472
मार्च, 1991	41.07	4639	28.93	1351	11.14	520